कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय

क्र.सं.	योजना का नाम	कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (केजीबीवी)
1	सक्षिप्त परिचय	• राजस्थान में कुल 200 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय (केजीबीवी) संचालित है। जिनमें से 186 शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में तथा 14 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय अल्पसंख्यक बाहुल्य शहरी क्षेत्रों में संचालित हैं। • केजीबीवी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक तथा बीपीएल परिवारों की शिक्षा से वंचित बालिकाओं को उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6,7 एवं 8) की गुणवत्ता युक्त शिक्षा आवासीय सुविधा सहित निःशुल्क प्रदान की जाती है।
2	प्रारंभ होने का वर्ष	2005–06
3	लाभान्वित वर्ग	• सामान्य केजीबीवी में 75% सीटों पर एस0सी0/एसटी0 बालिकाओं को प्राथमिकता से प्रवेश देवे जबकि 25% सीटो पर ओबीसी/अल्पसंख्यक/जनरल वर्ग की बीपीएल, परिवार की बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है। • अल्पसंख्यक वर्ग के लिए स्वीकृत 14 केजीबीवी में 75% प्राथमिकता अल्पसंख्यक वर्ग को दिया जाना अपेक्षित है। अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाएं नही मिलने की स्थिति में भी शेष सीटों पर ही अन्य वर्गों की बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है।
4	पात्रता	• अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक तथा बीपीएल परिवारों से अनामांकित/ड्रॉप आउट बालिकाएं । • 5 प्रतिशत सीट पर विशेष आवश्यकता वाली (CWSN) बालिकाएं ।
5	देय सुविधाएं	• सभी बालिकाओं को आवास व्यवस्था। • सभी बालिकाओं को दोनों समय मेन्यू अनुसार भोजन तथा नाश्ते की व्यवस्था। • पुस्तकें एवं शिक्षण सामग्री। • विद्यालय पोशाक, स्वेटर, जूते–मोजे सहित। • दैनिक उपयोगी वस्तुएं यथा साबुन, तेल, तौलिया, टूथ–पेस्ट, कंघा, चप्पल, सेनेटरी नेपकिन इत्यादि। • प्रतिमाह 100/– स्टाइपेण्ड राशि (बालिका के बैंक खातें में)।

6	केजीबीवी में संचालित गतिविधियां	• अनामांकित एवं ड्रापआउट बालिकाओं हेतु एक वर्षीय कन्डेन्स्ड कोर्स। • NIOS के माध्यम से बालिकाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण। • जीवन कौशल शिक्षा, स्काउट–गाईड गतिविधि । • खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओ को विद्यालय स्तर से राज्य स्तर तक आयोजन। • आत्म रक्षा प्रशिक्षण । • केजीबीवी शिक्षिकाओं एवं स्टॉफ का क्षमता अभिवर्द्धन प्रशिक्षण। • 51 विद्यालयों में सीसीई आधारित मूल्यांकन प्रणाली। • सभी विद्यालयों में शैक्षिक मेलों का आयोजन। • अन्तर जिला भ्रमण कार्यक्रम।
7	आवेदन का तरीका	सादा कागज पर आवेदन
8	आवेदन कहां किया जावे	संबंधित ब्लॉक के केजीबीवी की प्रधानाध्यापिका को (केजीबीवी सूची संलग्न है)
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	• ब्रिज कोर्स में पढ़ने का प्रमाण पत्र • विद्यालय छोड़ने का कारण सहित प्रमाण पत्र • बी.पी.एल. प्रमाण पत्र • जाति प्रमाण पत्र • बालिका एवं उससे मिलने आने वाले परिजनों के फोटों • बालिका एवं परिवार की एक फोटो आईडी
10	सम्पर्क सूत्र	• केजीबीवी प्रधानाध्यापिका • संबंधित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी • जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान • राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर – 01412700870